न्यायालय सहायक कलक्टर भीण्डर, जिला – उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री रमेश सीरवी पुनाड़ियां R.A.S.

GCMS प्रकरण संख्या 2021/71

प्रकरण संख्या 368/21

वाद अन्तर्गत धारा 88–188 भू. राजस्व अधिनियम 1956

अनवान

श्री माधवलाल बनाम श्री भगवतीलाल

अनवान

1/1 श्रीमति कमला बाई पत्नि स्व0 श्री माधवलाल चौबिसा।
1/2 प्रकाश चन्द्र पिता श्री माधवलाल चौबिसा।
1/3 सम्पतलाल पिता श्री माधवलाल चौबिसा।
1/4 श्री महेश कुमार पिता श्री माधवलाल चौबिसा सर्व निवासियान नीमड़ी, तहसील भीण्डर जिला उदयपुर।

वादीगण..................

बनाम

1. श्री भगवतीलाल पिता श्री मोड़ीलाल उर्फ मोड़ा चौबिसा।
2. मु.नाथीबाई पत्नि श्री बाबूलाल चौबीसा।
3. श्री गोपाल पिता श्री बालूलाल चौबिसा।
4. श्री सत्यनारायण पिता श्री बालुलाल चौबिसा।
5. भावना पिता श्री बालूलाल चौबिसा।
6. इन्दू पिता श्री बालूलाल चौबिसा सर्व निवासियान नीमड़ी, तहसील भीण्डर।
7. राजस्थान जरिये श्री तहसीलदार एवं उप पंजीयक भीण्डर जिला उदयपुर।

प्रतिवादीगण............

अधिवक्ता वादी : श्री मुकेश कुमार डांगी
अधिवक्ता प्रतिवादी : श्री प्रफुल्ल कुमार जैन

निर्णय **दिनांक : 27.01.2022**

1. वादी श्री माधवलाल पिता श्री मोड़ीलाल उर्फ मोड़ा चौबिसा (ब्राहम्ण) निवासी निमड़ी, तहसील भीण्डर, जिला – उदयपुर द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,188 भू. राजस्व अधिनियम 1956 पेश कर निवेदन किया कि मौजा नीमड़ी, पटवार हल्का – चारगदिया, भू.अ.नि. क्षैत्र – भीण्डर तहसील भीण्डर के आराजी संख्या 1584 रकबा 13 बिस्वा एवं 1585 रकबा 12 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 1 बिघा 5 विस्वा भूमि का 1/2 हिस्सा वर्तमान राजस्व अभिलेख में श्री गणपतलाल पिता रामकिशन ब्राहम्ण सा.देह खातेदार के नाम पर दर्ज है। श्री गणपतलाल वादी के रिश्ते में काका लगते थे जिनके एकमात्र पुत्र कृष्णचन्द का भी अस[illegible]धन हो गया इसके पश्चात गणपतलाल की पत्नि प्रेमदेवी ने वादी की सेवा से प्रस[illegible]कर [illegible]क 07.03.2005 को वादी के

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.12 17:35:18 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर, भीण्डर जिला-उदयपुर (राज.)

Scanned by CamScanner

पक्ष में स्टाम्प पर वसीयत पत्र लिख दिया तब से प्रेमदेवी की कुलिया चल एवं अचल सपंति का मालिक वादी ही बना तथा काबिज होकर उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 2 से 6 के मौरूस श्री बाबूलाल उपरोक्त संपति में से जबरन हक लेने की कोशिश की जिस पर वादी गणपतलाल की कृषि आराजीयात पर अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रकरण संख्या 58/2005 में न्यायालय द्वारा दिनांक 30.07.2005 को जारी एक पक्षीय अस्थाई निषेधाज्ञा की मूल वाद के फेसले तक पुष्टि की गई। इस निर्णय की विपक्षीगण द्वारा माननीय न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर के न्यायालय में अपील की जिसमें दिनांक 03.04.2008 को निर्णय पारित फरमाया गया एवं न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.06.2007 को अपास्त किया गया एवं वाद वर्णित आराजी संख्या 182,282 सवत् 2051–54 ग्राम नीमड़ी, खाता संख्या 34,36,37 संवत् 2048–51 ग्राम गोरिया में गणपतलाल पिता रामकिशन एवं उसके वारिस के नाम दर्ज हिस्से पर वाद निर्णय तक तहसीलदार भीण्डर को रिसीवर नियुक्त किया गया एवं अन्य सहखातेदार के कब्जे काश्त को प्रभावित किये बिना वाद वर्णित आराजीयात के हिस्से अनुसार काश्त व्यवस्था के निर्देश दिये गये एवं वादी द्वारा प्रस्तुत वाद संख्या 353/13 जो इस न्यायालय में विचाराधीन है उसमें आराजी संख्या 1584 रकबा 13 बिस्वा एवं 1585 रकबा 12 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 1 बिघा 5 बिस्वा सम्मिलित नहीं थी जिससे प्रतिवादी संख्या 1 से 6 वादी के हक, अधिकारों को नुकसान पहुंचाने पर उतारू है एवं लड़ाई झगड़ा करने से वादी को यह वाद प्रस्तुत करना पड़ा। जिसको हमने दर्ज रजिस्ट्रर कर प्रतिवादी गण को नोटिस जारी हुये।

2. उपरोक्त मामले में दिनांक 11.12.2019 को वादी की ओर से प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 सपठीत धारा 151 प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि वादी श्री माधवलाल चौबिसा की दिनांक 18.09.2019 को मृत्यू हो चुकी है जिनके वारिशो का संशोधित शिर्षक प्रस्तुत किया जिनके विधिक वारिस निम्नानुसार है।

   1/1 श्रीमति कमला बाई पत्नि स्व0 श्री माधवलाल चौबिसा।
   1/2 प्रकाश चन्द्र पिता श्री माधवलाल चौबिसा।
   1/3 सम्पतलाल पिता श्री माधवलाल चौबिसा।
   1/4 श्री महेश कुमार पिता श्री माधवलाल चौबिसा सर्व निवासियान नीमड़ी, तहसील भीण्डर जिला उदयपुर।

3. उपरोक्त प्रकरण में वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 01 से 06 की ओर से राजीमाना अन्तर्गत आदेश 23 नियम 03 सपठित धारा 151 व्य.प्र.सं. पेश कर निवेदन किया कि वादवर्णित आराजी संख्या 1584, 1585, किता 2 रकबा 01 बीघा 05 बिस्वा भूमि में श्री गणपतलाल पिता रामकिशन ब्राहम्ण के 1/2 हिस्से में वादीगण का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 1 का 1/6 हिस्सा एवं प्रतिवादी सं. 2 से 6 का हिस्सा 1/6 होकर इसी अनुसार खातेदारी अधिकार एवं आधिपत्य रहेगा तथा राजस्व अभिलेख में भी गणपतलाल के बजाय वादग्रस्त आराजी इसी हिस्से अनुसार खातेदारी हक में अंकित होगी। उक्त प्रार्थना प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उपरौक्तानुसार राजीनामा स्वीकार कर तस्दीक फरमाया जाकर डिक्री पर्चा बनाये जाने हेतु निवेदन किया गया है।

4. हमने पत्रावली का अध्ययन किया एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन करने एवं वादी एवं प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत तर्को पर मनन किया गया जिसमें मौजा नीमड़ी, पटवार हल्का – चारगदिया, भू.अ. नि. क्षैत्र – भीण्डर तहसील [illegible] 13 बिस्वा एवं 1585 रकबा 12 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 1 बिघा [illegible] का 1/2 हिस्सा वर्तमान राजस्व अभिलेख में श्री गणपतलाल [illegible] नाम पर दर्ज है। वादी व प्रतिवादीगण द्वारा पेश किये गये राजीनामे जिसके [illegible] उन्होंने बताया कि वादवर्णित आराजी संख्या 1584, 1585, किता 2 रकबा 01 बीघा 05 बिस्वा भूमि में श्री गणपतलाल पिता रामकिशन ब्राहम्ण के 1/2 हिस्से में वादीगण का 1/6 हिस्सा, [illegible]वादी सं. 1 का 1/6 हिस्सा एवं प्रतिवादी सं. 2 से 6 का हिस्सा 1/6 होकर इसी अनुसार खातेदारी अधिकार एवं आधिपत्य रहेगा। प्रार्थी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.12 17:35:18 IST
Reason: SelfAttested

कार्यालय सहायक कलक्टर, भीण्डर • जिला-उदयपुर (राज.)

Scanned by CamScanner

के फौत हो जाने के कारण उस सम्पति के वारिसान द्वितीय वर्ग के रहेगे। अतः अब दौनो पक्षकारों के बीच में राजीनामा होने के कारण राजीनामा में अंकित हिस्से अनुसार डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उक्त वर्णित वाद में आराजी संख्या 1584, 1585, किता 2 रकबा 01 बीघा 05 बिस्वा भूमि में श्री गणपतलाल पिता रामकिशन ब्राहम्ण के 1/2 हिस्से में के बजाय **वादीगण श्रीमति कमला बाई पत्नि स्व0 श्री माधवलाल चौबिसा, प्रकाश चन्द्र पिता श्री माधवलाल चौबिसा, सम्पतलाल पिता श्री माधवलाल चौबिसा, श्री महेश कुमार पिता श्री माधवलाल चौबिसा सर्व निवासियान नीमड़ी, तहसील भीण्डर जिला उदयपुर को 1/6** हिस्सा, प्रतिवादी सं. **1 भगवतीलाल पिता मोडीलाल का 1/6 हिस्सा** एवं प्रतिवादी सं. 2 से **6 नाथी बाई पत्नी बाबूलाल चौबिसा, गोपाल पिता बाबूलाल, सत्यनारायण पिता बाबूलाल चौबिसा, भावना पिता बाबूलाल चौबिसा, इन्दू पिता बाबूलाल चौबिसा निवासी निमड़ी तहसील भीण्डर का हिस्सा 1/6 को खातेदार घोषित किया जाता है।** तहसीलदार भीण्डर तहरीर जारी हो की **भू.प्रबन्धन के बाद के नये राजस्व रेकर्ड के अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करे।** पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

न्यायालय सहायक कलक्टर, भीण्डर • जिला-उदयपुर (राज.) •

27.1.22

(रमेश सीरवी पुनाड़िया RAS)
सहायक कलक्टर
भीण्डर जिला–उदयपुर(राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.12 17:35:18 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) भीण्डर, जिला – उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री रमेश सीरवी पुनाड़ियां R.A.S.

मुकदमा नम्बर : 368/21

उनवान

श्री माधवलाल बनाम श्री भगवतीलाल

अनवान

1/1 श्रीमति कमला बाई पत्नि स्व0 श्री माधवलाल चौबिसा।
1/2 प्रकाश चन्द्र पिता श्री माधवलाल चौबिसा।
1/3 सम्पतलाल पिता श्री माधवलाल चौबिसा।
1/4 श्री महेश कुमार पिता श्री माधवलाल चौबिसा सर्व निवासियान नीमड़ी, तहसील भीण्डर जिला उदयपुर।

वादीगण..................

बनाम

1. श्री भगवतीलाल पिता श्री मोड़ीलाल उर्फ मोड़ा चौबिसा।
2. मु.नाथीबाई पत्नि श्री बाबूलाल चौबीसा।
3. श्री गोपाल पिता श्री बालूलाल चौबिसा।
4. श्री सत्यनारायण पिता श्री बालुलाल चौबिसा।
5. भावना पिता श्री बालूलाल चौबिसा।
6. इन्दू पिता श्री बालूलाल चौबिसा सर्व निवासियान नीमड़ी, तहसील भीण्डर।
7. राजस्थान जरिये श्री तहसीलदार एवं उप पंजीयक भीण्डर जिला उदयपुर।

प्रतिवादीगण............

अधिवक्ता वादी : श्री मुकेश कुमार डांगी
अधिवक्ता प्रतिवादी : श्री प्रफुल्ल कुमार जैन

निर्णय

दिनांक : 27.01.2022

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद श्री रमेश सीरवी पुनाड़ियां आर.ए.एस. सहायक कलक्टर भीण्डर के समक्ष दिनांक 27.01.2022 को पेश जिसमें वादी का वाद राजीनामा के आधार पर स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है जिसमेंमौजा नीमड़ी, पटवार हल्का – चारगदिया, भू.अ.नि. क्षेत्र – भीण्डर तहसील भीण्डर के आराजी संख्या 1584 रकबा 13 बिस्वा एवं 1585 रकबा 12 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 1 बिघा 5 बिस्वा भूमि का 1/2 हिस्सा वर्तमान राजस्व अभिलेख में श्री गणपतलाल पिता रामकिशन ब्राहम्ण सा.देह खातेदार के नाम पर दर्ज है के बजाय **वादीगण श्रीमति कमला बाई पत्नि स्व0 श्री माधवलाल चौबिसा, प्रकाश चन्द्र पिता श्री माधवलाल चौबिसा, सम्पतलाल पिता श्री माधवलाल चौबिसा, श्री महेश कुमार पिता श्री माधवलाल चौबिसा सर्व निवासियान नीमड़ी, तहसील भीण्डर जिला उदयपुर को 1/6** हिस्सा, प्रतिवादी सं. 1 **भगवतीलाल पिता मोडीलाल का 1/6 हिस्सा** एवं प्रतिवादी सं. 2 से **6 नाथी बाई पत्नी बाबूलाल चौबिसा, गोपाल पिता बाबूलाल, सत्यनारायण पिता बाबूलाल चौबिसा, भावना पिता बाबूलाल चौबिसा, इन्दू पिता बाबूलाल चौबिसा निवासी निमड़ी तहसील भीण्डर का हिस्सा 1/6 को खातेदार घोषित किया जाता है।**

27/1/22

(रमेश सीरवी पुनाड़िया RAS)
सहायक कलक्टर
भीण्डर जिला–उदयपुर(राज.)

न्यायालय सहायक कलक्टर, भीण्डर
जिला–उदयपुर (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.12 17:35:18 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner